अमर उजाला

नई दिल्ली । बृहस्पतिवार, 10 जनवरी 2019

प्रवाह

नर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

चुनौतियां जीवन को अधिक रुचिकर बनाती हैं और उन्हें दूर करना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है...
-जोशुआ मैरिन

अमेरिकी लेखक

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 124वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, लोकसभा चुनाव में उसे इसका बड़ा लाभ भी मिल सकता है।

आर्थिक आरक्षण की ओर

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला जितना चौंकाने वाला था, इसे मूर्त रूप देने के लिए 124 वें संविधान संशोधन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाना उतना ही ऐतिहासिक घटनाक्रम है। दोनों सदनों में इस पर हुई बहस से साफ था कि सरकार की नीयत पर शक करने वाली विपक्षी पार्टियां भी इस विधेयक का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाईं। इसकी राह में बाधाएं अलबत्ता अब भी हैं। चूंकि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किया गया है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराने की मजबूरी बेशक न हो, पर अदालत में इसके टिकने की संभावनाओं पर संदेह जताया जा रहा है। मसलन, सरकार भले ही यह कह रही है कि उसने संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की एक नई श्रेणी बनाई है, लेकिन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने बहुमत फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आर्थिक स्थिति आरक्षण देने का आधार नहीं बन सकती। लिहाजा सरकार द्वारा संविधान संशोधन करने के बावजूद न्यायालय इस पर तो विचार करेगा ही कि उसका यह फैसला संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है या नहीं। ऐसे ही, शीर्ष अदालत यह व्यवस्था भी दे चुकी है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद मोदी सरकार को इसका श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए कि उसने उस सामाजिक बदलाव को पहचानने और उससे जुड़ी विसंगति को दूर करने की दिशा में कदम उठाया है, जिसके तहत छोटे होते खेत, बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और घटते अवसरों के कारण ऊंची जातियों को अब शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की जरूरत महसूस होने लगी है। यही नहीं, आरक्षण के इस दायरे में सभी धर्मों के लोग आएंगे। सही समय पर आर्थिक आरक्षण का दांव चलकर मोदी सरकार ने विपक्षी दलों से बढ़त तो बना ही ली है, जो संसद में इस पर बहस के दौरान विपक्षी दलों की रक्षात्मक मुद्रा से भी साफ-साफ दिखाई पड़ा, इसी कारण भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद भी की जा रही है।

सियासत बदल देगा नागरिकता बिल

लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के पारित होने से पूर्वोत्तर भारत में उथल-पुथल के एक नए चरण की शुरुआत हो गई है। यह ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के आठ जनवरी के बंद के दौरान हुई हिंसा से स्पष्ट है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों के कई स्वदेशी समूहों का समर्थन मिला। असम गण परिषद (एजीपी) ने बिल के विरोध में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया है और मेघालय, नगालैंड एवं मिजोरम में अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी, जिन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई है, इसके खिलाफ तीखा विरोध जताया है। उन्हें भय है कि यह विधेयक, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भागकर आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, उससे उनके राज्य में बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं और बौद्ध चकमाओं को भी वैधता मिल जाएगी। असम के भाजपा प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने इस विधेयक के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस विधेयक का विरोध किया है, उनका तर्क है कि भारतीय संविधान के तहत धर्म के द्वारा किसी की नागरिकता निर्धारित नहीं की जा सकती। दोनों पार्टियों को डर है कि इससे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बंगाली हिंदुओं के बीच भाजपा की स्थिति मजबूत होगी और मुसलमानों के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाएगी, खासकर पूर्वी बांग्ला मूल के लोगों की, जिनकी आबादी अच्छी-खासी है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति जैसे असम के स्थानीय समूह ने इस बिल के खिलाफ दिल्ली में नग्न प्रदर्शन किया। यह बिल असम के

इस बिल के साथ असम समझौते के खंड छह पर भी अमल किया जा रहा है, जिसमें छह ओबीसी समुदायों को एसटी के दायरे में लाया जाएगा। यह इस बिल से उपजी नाराजगी को दूर करने की कोशिश है।

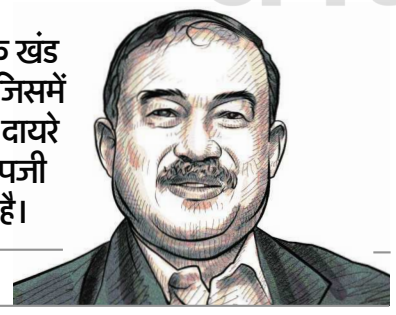

सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार

राजनीतिक परिदृश्य से एएएसयू और एजीपी को निकाल बाहर करने की कोशिश करता है, जहां बांग्लादेश से अवैध प्रवासन बार-बार उठने वाला विषय रहा है। दर्जनों असमी युवा अलगाववादी उल्फा में शामिल होने के लिए जंगल चले गए हैं, क्योंकि वे इसे 'दिल्ली द्वारा असम के साथ एक और धोखा' मानते हैं।

असम में सत्तारूढ़ भाजपा, जिसके एक मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहकर बिल को उचित ठहराया है कि '18 सीटों (विधानसभा की) को जिन्ना (इसे मुस्लिम पढ़ें) के हाथों जाने से रोकने का यह एक मात्र उपाय है', 1985 के असम समझौते के खंड छह को लागू करके इसके प्रतिकूल प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने का मतलब असम में छह अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों (ओबीसी)-चाय जनजाति/आदिवासी, ताई-अहोम, चुटिया, मोरन, मोटोक और कोच-राजबोंगशी की स्थिति अनुसूचित जनजातियों (एसटी) जैसी हो जाएगी। मोदी सरकार ने लंबे समय से इसका वायदा किया था। भाजपा को लगता है कि इस कदम से स्वदेशी समुदायों के एक बड़े हिस्से के बीच खोई जमीन वापस पाने में मदद मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में लगभग चालीस लाख आदिवासी हैं, जो राज्य की 3.1 करोड़ आबादी का 13 प्रतिशत हिस्सा हैं। जब इन छह ओबीसी को एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो राज्य में एसटी की आबादी बढ़कर कुल आबादी का 54 फीसदी हो जाने की संभावना है। हालांकि अभी एसटी के रूप में जो समुदाय सूचीबद्ध हैं, वे केंद्र के इस फैसले को सहजता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि ये समुदाय उनके फैसले का जबर्दस्त स्वागत करेंगे।

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज से जुड़ी लोकनीति द्वारा असम चुनाव के बाद कराए गए एक सर्वे के मुताबिक, इन छह समुदायों की 49 फीसदी आबादी ने एसटी का दर्जा पाने के लिए भाजपा को वोट दिया था। इसने मुख्य रूप से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, खासकर चाय जनजातियों में, जो छोटानागपुर मूल के हैं। 2011 के असम चुनाव के दौरान यह संख्या 33 फीसदी थी। एसटी का दर्जा देने से इन समुदायों में भाजपा का वोट शेयर ज्यादा नहीं, तो दोगुना हो सकता है, ऐसा पार्टी के प्रबंधक बिस्व शर्मा मानते हैं।

भाजपा असम की आशंकाओं को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश कर रही है कि असम समझौते के खंड छह के लागू होने का मतलब होगा कि 126 सीटों वाली राज्य विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। यहां तक कि अगर यह 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं करता है, तो यह निश्चित रूप से 40 प्रतिशत से अधिक होगा। जातीय असमियों के वर्चस्व वाली सामान्य सीटों को भी इसमें जोड़ दें, तो भाजपा को उम्मीद है कि इससे राजनीतिक ताकत हमेशा स्वदेशी समूहों के पास रहेगी। यह न केवल हिंदुओं को एकजुट करेगा, नागरिकता बिल से बंगाली हिंदुओं (जो असम की आबादी में करीब 12 फीसदी हैं) को निष्ठावान वोट बैंक में बदला जाएगा, बल्कि मुसलमानों को सत्ता से बाहर रखना और उन्हें किंग मेकर की भूमिका से अपदस्थ करना, मेहनती कार्यबल की हैसियत प्रदान करना, और राजनीतिक ढांचे में उनका प्रभाव खत्म करना भी संभव होगा। भाजपा को यह भी उम्मीद है कि इस बिल से पश्चिम बंगाल में उसकी सीटें बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हिंदू प्रवासी इसका स्वागत करेंगे।

जिन्होंने छह ओबीसी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया है, उनका तर्क है कि यह बांग्लादेश से असम में अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगा, क्योंकि यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कथित अवैध आप्रवासियों के प्रभाव को कम करेगा। वे क्षेत्र जहां ये छह समुदाय रहते हैं, विशेष रूप से निचले असम में, वहां बांग्लाभाषी मुसलमानों की बहुतायत है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि नए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में बांग्ला भाषी मुसलमानों के वोट घट जाएंगे। लेकिन यह कदम असमिया समाज को एसटी और गैर-एसटी क्षेत्रों में विभाजित करेगा और असमिया राष्ट्रीयता के गठन की प्रक्रिया को बाधित करेगा। और अगर एनआरसी बहिष्करण और नागरिकता बिल से परेशान ब्रह्मपुत्र घाटी में बंगाली मूल के मुसलमान 2021 की जनगणना में अपनी मातृभाषा बांग्ला (और असमिया नहीं, जैसा कि वे अभी कर रहे हैं) बताते हैं, तो राज्य में असमिया बोलने वालों की तुलना में बांग्ला बोलने वाले अधिक होंगे। असम की जातीय-धार्मिक बिसात में इतने जोखिम हैं कि एक गलत चाल से पूरा खेल बिगड़ सकता है।

अंतर्ध्वनि

>> मोहन राकेश

मैं स्थितियों को बदलने के फेर में लगा रहता था

मैं यह जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार-बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझमें है। मैं अपने को बदल लूं, तो सुखी हो सकता हूं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश-भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था।

मुझे बार-बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अ ना धि का र प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हट आया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज-रेखा पर पड़तीं, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूं।

मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा।

जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे-धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था।

मैं महज एक इंट्रोवर्ट था, जो स्थितियों को किसी न किसी तरह बदलने के फेर में लगा रहता था। जिस हवा में फूल अपने पूरे सौंदर्य के साथ नहीं खिल सकता, वह हवा अवश्य दूषित हवा है। जिस समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं कर सकता, वह समाज भी अवश्य दूषित समाज है।

-मशहूर हिंदी साहित्यकार

मंजिलें और भी हैं

>> आजाद पांडेय

खुद के दर्द ने दूसरों की पीड़ा का एहसास कराया

बारह साल पहले मैं एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ था और अपनी याददाश्त लगभग खो चुका था। मेरे घरवाले गोरखपुर के सभी अस्पतालों में मेरा इलाज कराकर थक चुके थे, पर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर में मुझे दिल्ली के एम्स में दिखाने का फैसला किया गया। दिल्ली आने के लिए मैं अपने परिजनों के साथ रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा था कि अचानक मुझे वहीं स्टेशन पर पांच-छह साल की एक बच्ची दिखी, जो कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। वह कचरे से खाने की चीजें ढूंढ रही थी। उस वक्त भले ही मेरा दिमाग सही नहीं था, पर वह दृश्य मुझे आज भी अच्छे से याद है। जो खाना मां ने रास्ते में खाने के लिए रखा था, उसी का एक हिस्सा उस बच्ची को दिया गया। दिल्ली से इलाज कराने के बाद वापस लौटने के बाद भी मुझे उस बच्ची की शक्ल याद थी, जबकि मैं उस समय घरवालों को भी पहचानने से इनकार करता था। न जाने क्यों, मैं उस बच्ची से मिलने के लिए बेचैन था। घरवालों को जब यह समझ आ गया कि मेरी जिंदगी की एक मात्र खुशी उस बच्ची से मिलने में ही बची है, तो उन्होंने मुझे उस तक पहुंचने का इंतजाम किया। अब मैं रोज स्टेशन जाने लगा और वहां घूमने वाले बच्चों के साथ वक्त बिताने लगा। कभी पिता, तो कभी भाई, रोज अलग-अलग परिजन की जिम्मेदारी मुझे घर से वहां ले जाने-लाने की थी। छह-सात महीने बीतने के बाद मेरी हालत में सुधार आया और मैं अकेले घर से निकलने लायक हो गया। नियति मेरी कहानी बहुत तेजी से लिख रही थी। वह बच्ची कहां चली गई गई, नहीं पता था, मगर कई अन्य बच्चे मेरी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं उनसे हर रोज मिलता, उन्हें खाना खिलाता, उनसे बातें करता। लगातार इलाज से मैं ठीक हो रहा था और मेरी समझ तेजी से बढ़ रही थी। मुझे समझ में आने लगा कि स्टेशन पर भीख मांगने वाले या फिर विक्षिप्तावस्था में रहने वाले बच्चे आते कहां से हैं। दरअसल गोरखपुर पूर्वी भारत से आने वाली रेलवे लाइन का अहम पड़ाव है। कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो संगठित तरीके से इन मासूमों से भीख मंगवाते हैं। 2012 में मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे बच्चों के पेट भरने के लिए स्माइल रोटी बैंक शुरू किया और स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को खाना खिलाने लगा। साथ ही मैंने इनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पढ़ने का भी इंतजाम किया। आगे चलकर मैंने हफ्ते का एक दिन विक्षिप्त लोगों के लिए तय कर दिया। लेकिन जल्द ही ऐसे लोगों के लिए काम करना मेरे लिए हर दिन का अभ्यास बन गया।

हम विक्षिप्तों को केवल आसरा नहीं देते, बल्कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था भी करते हैं।

मैं जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखता, जिसे समाज पागल करार देता है, तो उसे सामान्य बनाने के लिए बाल कटवाने का इंतजाम करने लगता। लेकिन बाल काटने वाले लोग जब आनाकानी करने लगे, तो मैंने खुद ही बाल काटना सीखा और तबसे लेकर आज तक 1,230 लोगों की हजामत अपने हाथों से बना चुका हूं। मैं हमेशा अपने साथ उस्तरा लेकर चलता हूं। इस पूरे अभियान में मेरे घरवालों के साथ रेलवे के एक इंजीनियर शिखर श्रीवास्तव हमेशा मेरी आर्थिक मदद करते रहे। मेरे काम से प्रभावित होकर चंद महीने पहले जिलाधिकारी ने हमें ऐसे लोगों को बसेरा देने के लिए एक स्थायी ठिकाना मुहैया कर दिया, जिसमें फिलहाल हम सत्तरह लोगों पर काम कर रहे हैं। हम इन विक्षिप्तों को केवल आसरा नहीं देते, बल्कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था भी करते हैं। मेरा अगला लक्ष्य महिलाओं के लिए ऐसी ही व्यवस्था करना है।

भारी पड़ेगी किसानों की अनदेखी

विडंबना ही है कि साढ़े चार साल बीत गए हैं और केंद्र सरकार अब भी किसानों की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाई है। देश का किसान अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। किसानों से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

पिछले दो दशकों में तीन सौ से ज्यादा किसानों द्वारा खुदकुशी किए जाने के बावजूद सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पिछले साल ऑल इंडिया किसान संघर्ष को-ऑर्डिनेशन कमिटी (एआईकेएससीसी) और इसके सहयोगियों द्वारा किए गए तमाम आंदोलनों ने यह जताने की भरसक कोशिश की कि किसानों से जुड़े मुद्दे ही देश की पहली प्राथमिकता हैं। हिंदी पट्टी में हुए राजनीतिक बदलाव किसानों की नाराजगी का ही परिणाम हैं। शायद इसीलिए ही सभी राजनीतिक दल आज किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने को तैयार दिखते हैं और यही वजह है कि किसान इस उम्मीद में हैं कि इस चुनावी साल में उनकी जरूर सुनी जाएगी।

विडंबना ही है कि साढ़े चार साल बीत गए हैं और केंद्र सरकार अब भी किसानों की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाई है। और तो और, वह इस दिशा में आगे बढ़ती भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो वह दो सौ नौ संगठनों के समूह एआईकेएससीसी द्वारा सुझाए गए दो प्रस्तावों पर संसद में बहस कर रही होती। कर्ज से मुक्ति और निश्चित एमएसपी की हमारी मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही आधारित है। ऐसा होने पर न सिर्फ किसानी का पेशा अपना पुराना गौरव हासिल कर सकेगा, बल्कि करोड़ों युवाओं को इसके जरिये रोजगार मिल सकेगा, जो आज खेती को घाटे का सौदा मान बैठे हैं। अब जबकि विपक्ष के इक्कीस राजनीतिक दलों ने हमारी मांगों पर सहमति दिखाते हुए सत्ता में आने पर इस पर गौर करने की बात कही है, यह जरूरी हो जाता है कि एनडीए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर बिल पास करे और अपना चुनावी वायदा पूरा करे।

वी एम सिंह

कांग्रेस ने जहां कर्ज माफी करके अपना वायदा पूरा किया, वहीं प्रधानमंत्री इस तरीके को लॉलीपॉप करार दे चुके हैं। यह इस बात का सूचक है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के नक्शेकदम पर चलते हुए किसानों को उनके रकबे के हिसाब से नगद मदद देने की सोच रही है, जबकि उसके पास मध्य प्रदेश की भावांतर योजना जैसा विकल्प भी है, जिसमें एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर पाटने की व्यवस्था है।

कुछ और समस्याएं हैं, जो इस साल किसानों को परेशान करेंगी। प्राकृतिक रूप से फसलों की बर्बादी उनमे से एक है। इसके उपाय के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से कॉरपोरेट हितैषी मालूम होती है। पिछले तीन साल के आंकड़े तो कम से कम यही कहते हैं। सरकारों द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली किसानों की जमीनें एक अलग तरह की चुनौती है। यहां नियमों के पालन में गंभीर खामियां देखने को मिलती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा नहर परियोजना अधिग्रहण के खेल का सटीक उदाहरण है। इस परियोजना से प्रभावित किसान आज न चाहते हुए भी अपनी जमीनें कम पैसों के बदले सरकार को सुपर्द करने पर मजबूर हैं, जो कि 2013 के भू-अधिग्रहण ऐक्ट का सरासर उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश के पांच करोड़ परिवार सीधे तौर पर गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। गन्ना किसान अपनी बिरादरी में सबसे गए-गुजरे हालात में हैं। साल बीत जाते हैं, उनको भुगतान नहीं किया जाता। खास बात यह कि गन्ना किसानों की समस्या आज की नहीं, बल्कि सत्तर साल पुरानी हो चुकी है। राज्य से लेकर केंद्र में कई सरकारें आई-गईं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। नेता अमीर मिल मालिकों के एहसानों तले किसानों की फिक्र करना भूल जाते हैं।

देश का किसान अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। किसानों से जुड़े कई और भी मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चुनावी वर्ष में कोई जुमला तो खैर बिल्कुल नहीं चलेगा।

-लेखक एआईकेएससीसी के संयोजक हैं।

हरियाली और रास्ता

कुटुंब नगर का दरवाजा

ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिसने दौलत के आगे अपने रिश्तों को कहीं ज्यादा मान दिया।

एक साम्राज्य का नाम कुटुंब था। वहां सभी प्राकृतिक संसाधन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते थे और सब मिल-जुलकर परिवार की तरह रहते थे। जब मोहन को यह बात पता चली, तो उसने तय किया कि अपने कुत्ते जैंगो को लेकर वह कुटुंब में रहने चला जाएगा। तय दिन यात्रा शुरू करने के बाद मोहन जब वहां पहुंचा, तो चकाचौंध देखकर चकरा गया। वहां सफेद संगमरमर की सड़क बनी हुई थी। चारों तरफ चांदी की दीवारें थीं। सब इतना चमचमा रहा था कि उसमें अपनी शक्ल तक दिखाई दे रही थी। एक विशाल सोने का बंद दरवाजा था। मोहन और जैंगो को प्यास लगी थी। दरवाजे के पास दो आदमी बैठे नोट गिन रहे थे। मोहन ने उनसे पूछा, क्या यह कुटुंब नगर का दरवाजा है? वह आदमी बोला, जी हां। मोहन ने पूछा, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? आदमी बोला, अंदर घुसते ही शरबत का इंतजाम है, पर आपका कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। मोहन को यह बात बुरी लगी। वह जैंगो को छोड़ नहीं सकता था। वह आगे बढ़ गया। आगे सड़क मिट्टी की थी। कुछ दूर एक और दरवाजा था, जो खुला था। पास ही एक आदमी किताब पढ़ रहा था। मोहन ने पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? उस आदमी ने कहा, दरवाजे से आगे एक हैंडपंप लगा है। मोहन बोला, क्या मेरे दोस्त के लिए भी पानी मिलेगा? आदमी बोला, हां, वहीं एक कटोरा रखा है, उससे पिला दो। मोहन को यह नगर अच्छा लगा। उसने पूछा, यह कौन-सा नगर है? आदमी बोला, यह कुटुंब है। मोहन ने पूछा, पर कुटुंब तो पीछे था?

वह आदमी बोला, जो लोग दौलत के कारण अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, उन्हें परखने और हम सबको उनसे बचाने के लिए वह एक माध्यम है। जो लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को ज्यादा मान देते हैं, वही इस दरवाजे तक पहुंच पाते हैं।

दुनिया एक परिवार है, जो इसे समझ लेता है, वही इस जन्नत में रह पाता है।

खुली खिड़की

पुलिस-नागरिक अनुपात

नागरिक-पुलिसकर्मी अनुपात के मामले में भारत दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। वहीं वेटिकन सिटी इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है।

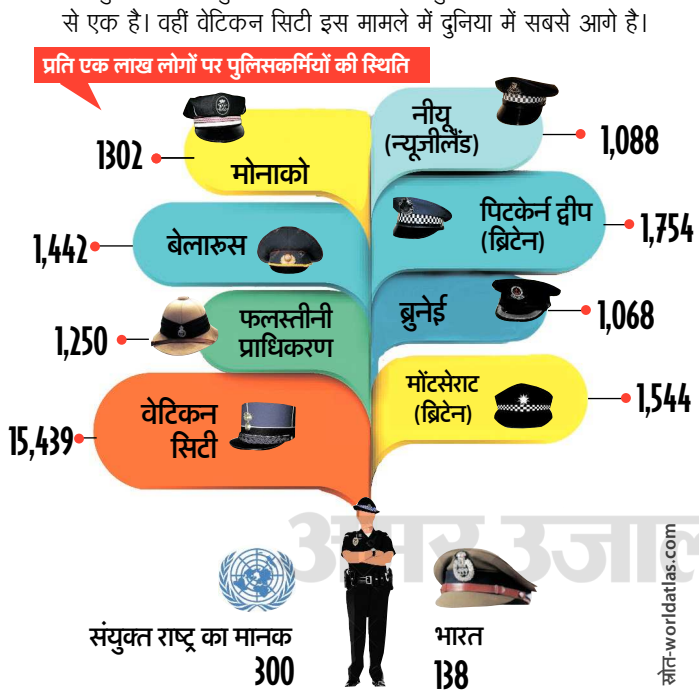

सत्संग

शरीर पर भी अधिकार नहीं

राजा जनक को एक ब्राह्मण पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर चले जाने का हुक्म सुना दिया। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आप कृपया मुझे यह बता दें कि आपका राज्य कहां तक है, ताकि मैं उसके बाहर जा सकूं। यह सुनकर राजा जनक सोचने लगे कि वास्तव में उनके राज्य की सीमा कहां तक है। पहले तो उन्हें लगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर उनका अधिकार है, फिर लगा कि अधिकार तो केवल मिथिला नगरी पर ही है। लेकिन आत्मज्ञान के कारण उन्हें एहसास हुआ कि उनका तो अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है। फिर वह किसी को इस तरह की आज्ञा कैसे दे सकते हैं। वह अफसोस की मुद्रा में बोले, आप जहां चाहें रहें, मेरा किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, इतने बड़े राज्य के अधिकारी होते हुए भी आप सभी वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष और निर्मम कैसे हो गए? थोड़ी देर पहले तक तो आप यह सोच रहे थे कि संपूर्ण पृथ्वी पर आपका अधिकार है? राजा जनक बोले, मैं गलत सोच रहा था। संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। शास्त्र के अनुसार, न तो कोई अधिकारी सिद्ध होता है और न ही कोई अधिकार योग्य वस्तु ही है। अतः मैं किसे अपने अधिकार में समझूं? यह सुनकर ब्राह्मण ने अपना चोला बदल दिया और बोले, महाराज, मैं धर्म हूं। आपके उत्तर ने मुझे संतुष्ट कर दिया है।

-संकलित